

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

Website:- www.rajsec.rajasthan.gov.in, Email:- secraj@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ.3(75)स्टोर/रानिआ/2019/पार्ट-1 2172

दिनांक: 01.7.2024

खुली बोली निविदा सूचना संख्या2024-25

राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यालय द्वारा स्रोत पर की गई टीडीएस एवं जीएसटी-टीडीएस कटौती की रिटर्न दाखिल करने, संशोधन रिटर्न, आयकर विभाग के दावों का जवाब/प्रतिनिधित्व करने, प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं फार्म नं. 16 तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दर संविदा करने के प्रयोजनार्थ पंजीकृत फर्मों से मुहंरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र निर्धारित निविदा शुल्क 100/- (प्रतिदेय नहीं) जमा करवाया जाकर दिनांक 02.07.2024 से 08.07.2024 दोपहर 02:00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक 02.07.2024 सांय 4:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 09.07.2024 को दोपहर 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.सं.	वस्तु का नाम	वार्षिक अनुमानित राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	कार्यालय उपयोगीतार्थ चार्टर्ड अकाउण्टेंट संबंधी सेवायें तथा TDS on Source GST-TDS, form no. 16, ITR Certificate etc.	30000/-	100/-

प्रस्तुत निविदा के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सेवा का विवरण	पारिश्रमिक/चार्ज
1	संवैतनिक टीडीएस कटौती का त्रिमास फार्म नं. 24Q	
2	गैर संवैतनिक टीडीएस कटौती का त्रिमास फार्म नं. 26Q	
3	फार्म नं. 16 (कर्मचारी/फर्म) तैयार करना (प्रतिवर्ष)	
4	संशोधन विवरण दाखिल करना (त्रैमासिक)	
5	आयकर विभाग में दावों का प्रतिनिधित्व करना (प्रतिदावा)	
6	जीएसटी-टीडीएस रिटर्न (प्रतिमाह)	
7	जीएसटी-टीडीएस प्रमाण पत्र प्रति सेवादाता (प्रतिमाह)	
8	नोडल एजेन्सी के त्रैमासिक रिटर्न अपलोड करने के चार्ज	

जो निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की जावेगी, उन्हें रद्द कर दिया जावेगा।

निविदा प्रपत्र आयोग की वेबसाइट www.rajsec.rajasthan.gov.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जिसका निर्धारित शुल्क राशि रु. 100/- का पृथक से बैंकर्स चेक/डी.डी., सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में टेण्डर फार्म के साथ जमा करवाने पर ही निविदा प्रपत्र मान्य होंगे। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

(संचिता बिश्नोई)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.3(75)स्टोर/रानिआ/2019/पार्ट-1 2173

दिनांक: 01.07.2024

प्रतिलिपि:- ACP, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजकर लेख है कि बोली सूचना एवं बोली प्रपत्र आदि SPPP Portal एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in Email: secraj@rajasthan.gov.in

सेवाये प्रदाय के लिये निविदा प्रपत्र

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय : 08.07.2024 सांय 4:00 बजे तक
निविदा खोलने का दिनांक एवं समय : 09.07.2024 दोपहर 3:00 बजे
निविदा प्रपत्र शुल्क : 100/- रु.

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता मय टेलिफोन/मोबाईल नं. :
2. निविदा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित की जानी चाहिये।
3. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक: एफ. 2(31) रानिआ/लेखा/बजट/2024/.....दिनांक.....
4. हम सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा इस प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. निविदा शुल्क राशि रु. 100/- नकद/रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर चैक संख्या दि. के द्वारा जमा करवा दी गई है।
6. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-ख के कॉलस संख्या 5 में अंकित की जाने वाली दरे जी.एस.टी. रहित (Excluding GST) अंकित की जावे।
7. सामग्री जिसके नमूने चाहे गये हैं, पृथक से सीलबन्द लिफाफे में आयोग को भिजवाने होंगे।
8. निविदादाता बिड सिक्योरिटी के स्थान पर संलग्न प्रारूप में 100 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्योरिटी के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करे, घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा (संलग्न किया जावे)।
9. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त होने के पश्चात् माल सप्लाई करने से पूर्व 100/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
10. दरे अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष के लिये विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा। इस अवधि में मात्रा की कमी/बढ़ोतरी आयोग द्वारा की जा सकेगी।
11. निविदा के साथ फर्म का GST पंजीयन एवं गत तिमाही तक का GST चुकता प्रमाण पत्र अथवा GST बकाया नहीं होने संबंधी शपथ पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न कर दी गई है।
12. निविदा खोलने के समय फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
13. सफल निविदादाता को नियमानुसार 0.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) जमा करानी होगी।
14. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र संलग्न है।
15. बोली दाता का विवरण परिशिष्ट-क की पूर्ति कर संलग्न कर दिया गया है।
16. मैं/हम राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक: एफ. 2(31) रानिआ/लेखा/बजट/2024/.....दिनांक..... में वर्णित सभी शर्तों मय परिशिष्ट-"क" "ख" अनुलग्नक अ ब स द (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) तथा दी गई उक्त सूचना की अतिरिक्त शर्तों से भी बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिये नियम 68)

टिप्पणी:— निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. निविदा को उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
2. निविदा के साथ फर्म का GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं गत तिमाही तक का GST चुकता प्रमाण पत्र अथवा GST बकाया नहीं होने संबंधी शपथ पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
3. GST पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र (Clearance certificate) कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, तो वह निविदा नहीं देगा। GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये।
4. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने के अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
5. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण/कम्प्यूटराईज होगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दर अंकन में कोई त्रुटि (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो, तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
7. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा उसमें सभी अनुषांगिक (Incidental) प्रभारों एवं अन्य करों आदि को शामिल करना चाहिये। किन्तु GST को शामिल नहीं किया जाना है। मूल निविदा फॉर्म के साथ संलग्न परिशिष्ट—ख में ही निविदादाता अपनी दरें दर्शाएँ। विभागीय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
8. **बातचीत (Negotiation) :-** (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी।
(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमते (Ring Price) दी गई हो या
(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
9. **मूल्य अधिमान :-** मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर राजस्थान से बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जायेगी।
10. **विधि मान्यता :-** निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
11. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा।
12. जिन मदों के नमूने अनिवार्य हैं उन मदों में प्राप्त नमूनों की जांच क्रय समिति द्वारा की जायेगी तथा अनुपयुक्त नमूनों की दर पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सुविधा प्रदान करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।
14. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

15. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) :-

- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप-17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।
- (ii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (iii) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-
 - (क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
 - (ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।
 - (ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख, यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।
- (iv) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद एवं दर संविदा की अवधि समाप्ति या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding Dues) नहीं है, तो प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा—

- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

16. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को, चाहे वह न्यूनतम न हो, स्वीकृत करने या किसी निविदा को बिना कारण बतलाये अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा को समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं, जिसके लिये निविदा दी गई है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक से अधिक को वितरित करने का, अधिकार सुरक्षित रखता है।

17. 1. I). निविदा प्रपत्र में सेवाये/माल की सुर्पुदगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

II). परिसमापित नुकसानी – परिसमापित नुकसानी के साथ सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सेवाये मूल्यों के लिये की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है।

- (क) विहित सुर्पुदगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये – 2.5%
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से – 5% अनाधिक के लिये
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई से – 7.5% अनाधिक अवधि के लिये
- (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये – 10%

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

4. यदि प्रदाय करता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत सेवा का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5. यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

18. भुगतान — सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गये माल के संबंध में सा.वि. ले.नि. के अनुसार उचित प्रारूप में बिल 03 प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।
19. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता कोई ऐसी शर्त आरोपित करता है जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा।
20. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर में वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
21. उक्त बोली के क्रम में सम्पादित अनुबन्ध के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय किया जा सकेगा, जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
22. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालय में की जायेगी एवं अन्यत्र नहीं की जायेगी।
23. निविदा प्रपत्र के साथ आनलाईन भुगतान हेतु केन्सिल चैक की प्रति एवं बैंक का नाम तथा बैंक का IFSC Code आदि का प्रमाण संलग्न करना होगा।
24. सा.वि. एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।


 (संचिता बिश्नोई)
 सचिव
 राज्य निर्वाचन आयोग
 राजस्थान, जयपुर

मैंने उपरोक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबद्धित रहूंगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मुहर

निविदादाता का नाम व डाक का पता
टेलिफोन/मोबाईल नम्बर

परिशिष्ट-क

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर बोलीदाता का विवरण
(बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

1	सामग्री/सेवा का नाम, जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या एवं ई-मेल का पता	
3	फर्म का पंजीकरण क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)च	
4	जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)	
5	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	

बोली दाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता

वित्तीय निविदा का प्रारूप

क्र. सं.	सेवा का विवरण	पारिश्रमिक / चार्ज	जी.एस.टी. (राशि रु.)	कुल राशि (राशि रु.)
1	संवैतनिक टीडीएस कटौती का त्रिमास फार्म नं. 24Q			
2	गैर संवैतनिक टीडीएस कटौती का त्रिमास फार्म नं. 26Q			
3	फार्म नं. 16 (कर्मचारी/फर्म) तैयार करना (प्रतिवर्ष)			
4	संशोधन विवरण दाखिल करना (त्रैमासिक)			
5	आयकर विभाग में दावों का प्रतिनिधित्व करना (प्रतिदावा)			
6	जीएसटी-टीडीएस रिटर्न (प्रतिमाह)			
7	जीएसटी-टीडीएस प्रमाण पत्र प्रति सेवादाता (प्रतिमाह)			
8	नोडल एजेंसी के त्रैमासिक रिटर्न अपलोड करने के चार्ज			